


23/6/2018

प्राथमिकी राजस्व लोक अशाल न केस
 कातर पर प्रकृत इकाई वकील
 उभय पक्ष उपस्थित प्रा० प० 151 पर
 वधम सुनी गई। कादी एवं प्रतिवादी
 दोनो को ओर से इल सिन्दु को उठाया
 गया है कि वादग्रस्त कानूनी बात को देख
 कादी पक्षको के मध्य विशिष्ट अनुतोष
 अधिलिखत के तहत सिविल न्यायकीय
 में विचारणीय है पर उच्चरी कपील राज
 एप्र कोर जोधपुर में प्र० एन 220/2017
 विचारणीय के अंतः इलगत में कार्यवाही स्थित
 की जावे।

इसमें तर्की पर मल्ल विप्रा गया
 न्यायालय दोनों पक्षों के अग्रत के सहित
 है। जहां उच्चत न्यायालय में एक ही विषयबद्ध
 सम्पत्ति, पक्षकाल में विवाद विचारणीय हो
 तो ऐसे प्रकरणों पुनर्वादी विप्रा जात न्याय
 लागत नहीं लगे। लोग तथा पक्षको में
 विवाद बुझि लेना एकलविक हो जायेगा ऐसी
 नीतिगत में प्रा० प० 151 CPC को पर 2
 विप्रा जात है तथा प्रकरण में इली
 एत पर कार्यवाही होप की जाते है।
 प्रजावली में विप्रा जा प्रा० प० एन
 11 का भी निर्णय है कोष है बुद्धि प्रकृत
 में कार्यवाही होप हो जाते है एन - 11
 को प्रा. न. निर्णय विप्रा जात कोषित लो
 है। प्रजावली केवल शुभ्य चरण
 से काम है।


 27.6.18
 उपखण्ड अधिकारी
 भवेसर, पितोवन

